नगर पालिक निगम रायपुर विशेष सम्मिलन बैठक
दिनांक 29/03/2017 समय - 11:00 बजे

1.	साधारण सम्मिलन दिनांक 10-03-2017 एवं 15-03-2017 की कार्यवाही की पुष्टि।	विगत सामान्य सभा की बैठक दिनांक 10-03-2017 एवं 15-03-2017 की कार्यवाही की पुष्टि की जाती है।
2.	पुनरीक्षित आय-व्यय वर्ष 2016-17 एवं अनुमानित आय व्यय वर्ष 2017-18 मेयर इन कौंसिल बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 22-03-2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव विचारार्थ।	वित्त प्रभारी द्वारा वर्ष 2016-17 का पुनरीक्षित आय-व्यय तथा वर्ष 2017-18 का अनुमानित आय-व्यय प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर आपत्ती करते हुए कुछ पार्षदों ने कहा तथा लिखित में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रस्तुत प्रस्ताव में सम्पत्ति कर के दरों तथा जोन क्षेत्र के संबंध में उल्लेख नहीं है जो आय-व्यय प्रस्ताव का अहम भाग होता है। वित्त प्रभारी द्वारा संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा संशोधन को आय-व्यय प्रस्ताव का हिस्सा मानते हुए संशोधन सहित प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसको सर्व सम्मति से पारित किया गया।

पुनरीक्षित बजट वर्ष - 2016-2017 (रु. लाख में)			बजट अनुमान - 2017-18 (रु. लाख में)	
	बजट अनुमान	पुनरीक्षित बजट		
प्रारंभिक शेष	681.38	1103.81	प्रारंभिक अवशेष -	2375.36
अनुमानित आय	39588.20	6480.01	अनुमानित आय -	40000.20
कुल योग	40269.58	7583.82	कुल योग -	42375.56
कुल व्यय	39107.50	5208.46	कुल व्यय -	40993.50
बचत	1162.08	2375.36	बचत -	1382.06

(हस्ताक्षर)
निगम सचिव
न.पा. निगम
रायपुर

किये गए समस्त संशोधनों सहित नई स्वनिर्धारण विवरणी तैयार की गई। संशोधित विवरणी को दो स्थानीय समाचार पत्रों में जनता की सुविधा हेतु तत्काल प्रकाशित कराया जावे। तथा उपयोग हेतु वर्ष 2017-18 में उपयोग हेतु नई विवरणी छपवाई जावे जो निम्नानुसार है-

निगम सचिव
न.पा.निगम
रायपुर

वर्ष 2017–18 हेतु संपत्तिकर का निर्धारण

जोन क्रमांक 01 :– रेल्वे फाटक से सुभाष चौक, हटरी चौक से लक्ष्मीपुर चौंक, ढिमरापुर चौक, उर्दना रोड सीमा तक। रेल्वे स्टेशन से बसंतमाला चौक, स्टेशन रोड गांधी गंज, गांधी प्रतिमा से रामनिवास टाकीज चौक मालधक्का रोड। गांधी प्रतिमा से श्याम टाकीज के चारो तरफ, बूजी भवन रोड, सदर हटरी गुरूद्वारा रोड, नई सडक। रामनिवास चौक से गोपी टाकीज रोड नया गंज शहीद चौक, केलो पुल होते हेमू कालोनी चौक चक्रधर नगर चौक एवं सरला विरला से दुर्गा चौक से बोईरदादर चौक। श्रृंगार होटल से गौरी शंकर मंदिर रोड, न्यू मार्केट रोड अग्रोहा भवन रोड मोडा कालोनी से गोदरी चौक,। गददी चौक से पैलेस रोड हटरी चौक से पुराना सदर बाजार रोड मुंशी गली गांजा चौक। बसंतमाला चौक से सिविल लाईन सत्तीगुडी चौक घडी चौक थाना रोड थाना के चारो तरफ किरोडीमल कालोनी, घडी चौक से लक्ष्मीपुर चौक। गांधी प्रतिमा से महिला महाविद्यालय सडक सेवाकुंज रोड हंडी चौक, गौशाला रोड। सत्तीगुडी चौक से कामर्स कालेज रोड होते हुये बाईपास, ढिमरापुर चौक सी.एम.ओ. तिराहा भगवानपुर रोड से निगम सीमा तक।

जोन क्रमांक 02 :– बीड पारा, सिंधी कालोनी कच्ची खोली, पक्की खोली। चांदनी चौक, सोनार पारा रोड सर्किट हाउस तक। हेमू कालोनी चौक से बेलादुला रोड सर्किट हाउस से उर्दना रोड। शहीद चौक से जूना बडपारा, चौक होते बस स्टैण्ड, जंजघर रोड कोष्टापारा एस.पी. बंगला से आठले घर होते दरोगापारा सडक, सत्तीगुडी चौक से बैकुठपुर रोड होते हुये दशरथ पान ठेला तक। रेल्वे क्रासिंग से कबीर चौक उडीसा रोड सीमा तक। अटल चौक से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुये रेल्वे क्रासिंग तक अटल चौक से उडीसा रोड बायपास कांशीराम चौक निगम सीमा तक। अटल चौक से छातामुडा सहदेव पाली रोड पर निगम सीमा तक। गोगा मंदिर से मिठ्ठुमुडा दुर्गा चौक तक। दुर्गा चौक से ट्रांसपोर्ट नगर चौक तथा दुर्गा चौक से कबीर चौक रोड, तक तथा विश्वासगढ चर्च रोड से लकडी टाल होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर चौक तक। चक्रधर रेल्वे क्रासिग से अतरमुडा रोड टी.वी. टावर रोड पहाड मंदिर रोड निगम सीमा तक। चक्रधर नगर से कसेर पारा तक बोईरदादर चौक से विजयपुर चौक तक।

जोन क्रमांक 03 :– जोन क्रमांक 01 से हटकर ऐसे मार्ग जो जोन क्रमांक 01 के सडको से मिलते हो।

जोन क्रमांक 04 :– जोन क्रमांक 02 से हटकर ऐसे मार्ग जो जोन क्रमांक 02 के सडको से मिलते हो।

संपत्तिकर निर्धारण हेतु दर प्रति वर्गफीट

जोन क्रमांक	निर्मित भवन का दर प्रति वर्गफीट				भूमि का दर प्रति वर्गफीट	
	आवासीय			व्यवसायिक		
	पक्का	कच्चा	आंशिक पक्का	पक्का	आवासीय	व्यवसायिक
01	13.50	7.00	12.00	15.00	9.00	12.00
02	12.00	6.00	10.50	13.50	7.50	9.75
03	6.00	3.00	5.25	7.50	4.50	6.00
04	4.50	2.00	3.75	6.00	3.00	4.50

वर्षिक भाडा मूल्य पर कर की दर का निर्धारण :–

1. वार्षिक भाड़ा मूल्य 6001/– से 30,000/– तक – 6 प्रतिशत
2. वार्षिक भाड़ा मूल्य 30,001/– से 60,000/– तक – 8 प्रतिशत
3. वार्षिक भाड़ा मूल्य 60,001/– से 1,00,000/– तक – 10 प्रतिशत
4. वार्षिक भाड़ा मूल्य 1,00,001/– से 1,20,000/– तक – 15 प्रतिशत
5. वार्षिक भाड़ा मूल्य 1,20,001/– से 1,50,000/– तक – 18 प्रतिशत
6. वार्षिक भाड़ा मूल्य 1,50,001/– से अधिक – 20 प्रतिशत

शिक्षा उपकर :– देय संपत्तिकर पर 5 प्रतिशत के बराबर शिक्षा उपकर देय होगा।

समेकित कर :– वार्षिक भाड़ा मूल्य 6000 रू. तक 300.00 रू. 6001 से उपर 600.00 रू. की दर से संपत्तिकर के साथ देय होगी।

संपत्तिकर में छूट :–

1. न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंर्तगत प्रदत्त छूट।
2. भवन के रखरखाव हेतु वार्षिक भाडा मूल्य में 10 प्रतिशत की छूट।
3. नया भवन निर्माण अनुमति दिनांक से 01 वर्ष तक संपत्तिकर से छूट।
4. नियम 05 के अंर्तगत ऐसी भूमि जिस पर कृषि हो रही है, तथा भवनों के संलग्न रिक्त भमि (मार्जिनल ओपन स्पेश) वार्षिक भाडा मूल्य के गणना के परियोजन से मुक्त होगी।
5. धारा 137 के तहत वर्ष 2017–18 का संपत्तिकर 31 जुलाई 2017 तक जमा करने पर 6 प्रतिशत छूट, 31 अक्टूबर 2017 तक जमा करने पर 4 प्रतिशत छूट करदाताओं को मिलेगी। बिना छुट के 31 मार्च 2018 तक देय होगा तथा 31 मार्च के पश्चात 6 प्रतिशत बकाया पर ब्याज देय होगा।

विशेष :– न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (2) के संशोधित राजपत्र दिनांक 09 अगस्त 2012 के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति तक स्वनिर्धारण प्रत्रक प्रस्तुत नहीं करने पर भवन स्वामी को एक हजार रूपये शास्ति अधिरोपित किया जावेगा। शासकीय आवासीय भवन तथा ट्रस्ट (सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्ति) पर जो संपत्तिकर से मुक्त है ऐसी भवनों पर समेकितकर 600 रूप्ये प्रतिवर्ष उपभोगकर्ता द्वारा देय होगा।

नोट :– संपत्तिकर स्वनिर्धारण पत्रक में अपने भूमि/भवन को नाप जोख कर क्षेत्रफल की जानकारी सही सही भरें यदि स्वनिर्धारण पत्रक जांच करने पर यह पाया जाता है कि आपके अपने भूमि/भवन की जानकारी गलत भरकर संपत्तिकर की गणना कम की गई है तो वास्तविक कर एवं अंतर की राशि का पांच गुना राशि दण्ड स्वरूप नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 138 (3) के तहत वसूल की जावेगी।

निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

सभापति
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)